स्ट्रीट वेंडर / मार्किट कमिटी / फेडरेशन / टाउन वेंडिंग कमिटी

के लिए

सामान्य प्रशिक्षण पुस्तिका

द्वारा

न्यू एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नासवी)

304, मौर्य टॉवर, मौर्य लोक काम्प्लेक्स,बेली रोड , पटना 800001

ई मेल : info@nasvinet.org, वेबसाइट: www.nasvinet.org

स्ट्रीट वेंडर / मार्किट कमिटी / फेडरेशन / टाउन वेंडिंग कमिटी को जानने योग्य बाते / प्रशिक्षण पुस्तिका

1. स्ट्रीट वेंडर / फूटपाथ दुकानदार की परिभाषा-

स्ट्रीट वेंडर यानि एक ऐसा व्यक्ति , जो किसी सड़क , गली , पगडंडी , फुटपाथ , सार्वजनिक पार्क या सार्वजनिक स्थल पर आम जनता के रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुए, खाद्य पदार्थ को एक अस्थायी निर्मित संरचना से या जगह जगह घूमकर या निजी क्षेत्र, बेचना या सेवाएं प्रदान करता है | भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है | जैसे - फूटपाथ दुकानदार, हॉकर, फेरीवाला, रेहड़ी पटरी वाला, लारी गल्ला, उठा दोकानी, इत्यादि |

2. संविधान में फूटपाथ दुकानदारो के अधिकार-

lafo/kku : हमारे देश को चलाने के लिए का वह पुस्तिका जो सरकार की रचना, स्वरूप तथा संगठन को स्थापित करता है और उस कानून का प्रयोग कैसे किया जाता है, यह भी निश्चित करता है। इसमें नियमों, सिद्धांतों, सरकारी सत्ता का वर्णन तथा राष्ट्र अथवा राज्य के लोगों के मुख्य अधिकार शामिल होते हैं।

संविधान के प्रस्तावना के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक –आर्थिक न्याय स्वतन्त्रता व अवसर की समानता प्रदान करती हैं ।

- न्यायपालिका – न्याय दिलाना व संविधान की व्याख्या करना
- विधायिका – नियम व कानून बनाना।
- कार्यपालिका – प्रशासन चलाना।

Hkkjrh; lafo/kku ,oa blesa LVªhV oMjksa ds 0;olk; lac/kh vf/kdkj	
अनुच्छेद(19-1-जी)	नागरिकों को जीविकोपार्जन हेतु वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है।
अनुच्छेद- 38–1	नागरिकों के संरक्षण व लोक कल्याण में वृद्धि करना राज्य का कर्त्तव्य है।
अनुच्छेद 39–ए	पुरुष व महिला दोनों को आजीविका का पूर्ण अधिकार है।
अनुच्छेद 39–बी	समुदाय के भौतिक स्रोतों का स्वामित्व व नियंत्रण इस तरह से बटें हो कि साझे सामानों का सर्वाधिक उपयोग हो।
अनुच्छेद 41	सभी को (नागरिको को) काम व शिक्षा दिलाने का दायित्व राज्य सरकार का है।
¼ukV& gekjs leLr ekfyd vf/kdkjksa dk laj{kd loksZPp U;k;ky; gS½	

lokPp U;k;ky; की व्याख्या

भारत के संविधान के अनुच्छेउ 19 (1) जी के तहत कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार प्रत्येक भारतीय को है। सर्वोच्च न्यायालय ने उचित नियंत्रण में फुटपाथ दुकानदारों के अधिकारों को सोधन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर निगम समिति मामले में पहचान दिया। फैसला में कहा गया है 'अगर उचित ढंग से परिस्थितियों की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रित किया जाय तो फुटपाथ के छोटे व्यवसायी रोजमर्रे के उपयोग के जरुरी सामान तुलनात्मक रुप से कम दामों पर उपलब्ध करा कर, आम जनता के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुविधा और आराम पहुंचा सकते हैं। फुटपाथ पर दुकानदारी को सिर्फ इस आधार पर नहीं बंद किया जा सकता है कि वह सिर्फ आने–जाने के लिए है, दूसरे किसी कार्य के लिए नहीं। एक सामान्य आदमी, जो बहुत धनी नहीं होता है, जब दिन भर के काम के बाद घर लौटने की हड़बड़ी में होता है, तब वह नियमित बाजार ढूंढ़ने के बजाय रास्ते में ही चीजें खरीद सकता है।

3. स्ट्रीट वेंडर रास्ट्रीय निति 2004

जीविका कमाने के क्रम में फुटपाथ दुकानदार शहरी जनसंख्या को मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं। शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडरों का एक बड़ा भाग कम दक्षता वाले लोगों का है और ये वे हैं, जो छोटे कस्बों व देहात से रोजगार की तलाश में यहां आए। लेकिन, दुर्भाग्य से स्थानीय शहरी निकाय और पुलिस उक्त पहलू पर ध्यान नहीं देती है और अधिकांशतः वे स्ट्रीट वेंडिंग को अवैधानिक मानते हैं। फुटपाथ दुकानदारों को मुख्य नुकसान नगर निगम व पुलिस कानून की कुछ धाराओं से है। देश में फुटपाथ दुकानदारों की संख्या करीब 1 करोड़ है और भविष्य में इसमें लगातार बढ़ोत्तरी की संभावना है।

नासवी (नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया) ने देश भर में इन फूटपाथ दुकानदारो के पक्ष में वकालत की तथा एक अध्ययन के माध्यम से भारत सरकार का ध्यानाकर्षण इस गंभीर मुद्दे की तरफ किया | मुद्दे की गंभीरता एवं शहरों में फूटपाथ दुकानदारो की योगदान को स्वीकारते हुए भारत सरकार ने २० जनवरी २००४ को शहरी फेरी वालो की रास्ट्रीय नीती पारित की |

इस नीति के तहत जिस मुख्य लक्ष्य को पाने की कोशिश है, वे हैं–स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका के लिए स्वच्छ वातावरण तैयार करना व प्रोत्साहित करना। साथ ही शहरवासियों की सुविधा के लिए शहर की सुंदरता बनाए रखने की कोशिश । दूसरे शब्दों में,इस नीति का लक्ष्य है कि फेरी–टोकरेवालों के अधिकार की रक्षा और सार्वजनिक स्थानों की रक्षा के बीच संतुलन और वैधानिक ढंग से यातायात गतिशीलता बरकरार रखना।

4. स्ट्रीट वेंडर कानून 2014

स्ट्रीट वेंडर कानून 2014, भारत के करोड़ो फूटपाथ दुकानदारो (स्ट्रीट वेंडर्स) को संविधान प्रदत अधिकारों की रक्षा, रोजगार को सुरक्षित, नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक केंद्रीय कानून है | यह कानून *स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडिंग का नियमन) अधिनियम 2014* के नाम से जाना जाता है, जो समस्त भारत में (जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) 1 मई 2014 से प्रभावी है |

5. नासवी की भूमिका - कानून 2014

1998 से नासवी द्वारा देश भर में फुटपाथ दुकानदारों की व्यापक गोलबंदी और निरंतर चलाये गये नेटवर्किंग के अनथक प्रयासों के परिणामस्वरूप आखिरकार एवं सपना हकीकत की धरातल पर उतरा और विभिन्न राज्यों से सात सौ से भी अधिक फुटपाथ दुकानदार संगठन, समुदाय आधारित समूह एवं ट्रेड युनियन नासवी के साथ जुड़े। साल 2003 में नासवी रजिस्टर्ड हुआ ।

फुटपाथ दुकानदारों के सदस्यता आधारित संगठनों के पैमाने पर साथ आने और नासवी के मंच पर उनकी एकजुटता ने व्पापक गोलबंदी की प्रक्रिया को तेज गति दी। नासवी ने स्थानीय शहरी निकायों, राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार के समक्ष लोगों की समस्याओं के मद्देनजर अपनी मांगों व सरोकारों को प्रभावी तरीके से उठाना शुरू किया।

फुटपाथ दुकानदारों को संगठित करने की प्रक्रिया ने अपने अधिकारों व दावेदारियों को हासिल करने के लिए मेहनतश संगठनों को कोर्ट–कचहरियों का सहारा लेने का भी हौसला दिया। कानूनी पहलकदमियों के सकारात्मक नतीजे निकले और रेहड़ी पटरी/फुटपाथ दुकानदारों के पक्ष में कई न्यायिक घोषणएं आई।

2004 % QVikFk nqdkunkjks d fy, jk"Vh; uhfr

फुटपाथ दुकानदारों की देशव्यापी एकजुटता व उनकी मुहिम ने भारत सरकार को राष्ट्रीय नीति लाने के लिए बाध्य किया। भारत सरकार ने 20 जनवरी 2004 को राश्ट्रीय नीति की घोशणा की जिसे साल 2009 में संशोधित किया गया। राश्ट्रीय नीति ने रेहड़ी फेरी व्यवसाय के मसलों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हुए उन पर सोचने–समझने व उनका हल तलाशने की दिशा में एक नयी दृश्टि दी और फुटपाथ दुकानदार संगठनों ने राश्ट्रीय नीति के जमीनी अमल के लिए नगर निकायों पर दबाव बनाना शुरू किया।

चूंकि रेहड़ी पटरी/फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनी राष्ट्रीय नीति पर अमल कई राज्यों में संतोषजनक नहीं रहा, इसलिए नासवी ने साल 2009 में फैसला किया कि इस नीति पर अमलीकरण की कोशिशों के साथ–साथ वह फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका के संरक्षण और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए केन्द्रीय कानून लाने की मांग को लेकर संघर्ष करेगा।

2010–2011 में नासंवी द्वारा चलाये गये रथ अभियान के बाद कई राज्यों में सकारात्मक नतीजे देखने को मिले और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार और उत्तराखंड में राज्य सरकारों ने कानून नीतियों और नियामवलियां बनायी।

अक्टूबर 2010 में भारत के सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले ने नासवी को अपनी मांगों के पक्ष में संघर्ष का एक नया हथियार सौंप दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के तहत रेहड़ी पटरी/फुटपाथ दुकानदारों को अपने व्यवसाय संचालन का मौलिक अधिकार प्राप्त है और कानून बना कर ही इस अधिकार को संरक्षित किया जा सकता है। सर्वाच्च न्यायालय ने सरकार को 30 जून, 2011 तक ऐसा कानून बनाने का निर्देश दिया।

सर्वोच्य न्यालय के ऐतिहासिक फैसले के बाद नासवी ने केन्द्रीय कानून के लिए एक बड़े आंदोलन का बिगुल बजा दिया। 24 नवम्बर 2010 का नासवी के प्रतिनिधिमंडल ने आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री कुमारी सेलजा से मुलाकत की और केन्द्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

नासवी ने अपने सभी सदस्यों संगठनों का आह्वान किया कि वे 14 जुलाई 2011 को अपने–अपने शहरों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करें ताकि सरकार पर केन्द्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए दबाब बनाया जा सके। देश के तीस से अधिक शहरों में धरना, जुलूस व प्रदर्शन हुए।

नासवी ने शहर सबके लिए विशय पर 19 नवंबर 2011 को दिल्ली में एक विशाल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया में नासवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसने मजबूत विधेयक के निर्माण के लिए अनेक सुझाव दिये।

जुलाई 2012 में कानून मंत्रालय ने केन्द्रीय कानून के मसौदे को मंजूरी दी। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा फेरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और फेरी विनियमन) विधेयक को मंजूरी दी गयी। 6 सितंबर 2012 को यह बहुप्रतीक्षित विधेयक लोकसभा में पेश हुआ।

लोकसभा से पारित होने के बाबजूद बिल राज्य सभा में कानूनी पचड़ें में फसने लगा। आम चुनाव नजदीक आ रहे थे। संसद का सत्र दर सत्र चलता रहा परन्तु कानून पर प्रगति नहीं होता देख नासवी ने 2014 के आरम्भ के देश व्यापी आन्दोलन छेड़ा । दिल्ली में सत्र के दौरान ही सताधरी व विपक्षी सांसदों से संवाद स्थापीत किये गये। अथक जदोजहद के बाद स्ट्रीट वेंडर बिल 2014 संसद से प्रभाती हुआ।

6. कानून 2014- के मुख्या प्रावधान-

1. टाउन वेंडिग कमिटी प्रत्येक अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक पांच साल में स्ट्रीट वेण्डर्स का एक बार सर्वेक्षण करेगा ।
2. कुल वार्ड या क्षेत्र या शहर की आबादी का 2.5 प्रतिशत जनसंख्या को फेरी करने हेतु फेरी क्षेत्र में स्थान मिलेगा एवं जब तक सर्वेक्षण का कार्य खत्म नहीं हो जाता उन्हे उनके स्थान से न पुर्नस्थापित किया जायेगा या बेदखल किया जा सकेगा।
3. कोई भी जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है टाउन वेंडिग कमिटी द्वारा उसे वेंडिग हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है।
4. टाउन वेंडिग कमिटी, के क्षेत्र के अंतर्गत संख्या से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स होने की स्थिति में एक प्रकाशनार्थ जारी कर सकता है।
5. प्रमाण पत्र के प्रकाशन के पूर्व प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को एक वचन पत्र टाउन वेंडिग कमिटी को देना होगा।
6. टाउन वेंडिग कमिटी किसी भी वेण्डर्स का फेरी प्रमाण पत्र निरस्त या स्थगित कर सकता है यदि कोई वेण्डर्स नियम उल्लंधन और विधेयक में वर्णित नियम को नहीं मानता है।
7. प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को फेरी हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा एवं फेरी शुल्क के नवीनीकरण हेतु शुल्क का भुगतान करना होगा।
8. स्ट्रीट वेण्डर्स की मृत्यु होने पर फेरी प्रमाण पत्र उसके जीवनसाथी या उनके आश्रित के बच्चें को स्थानातंरित किया जा सकता ।
9. टाउन वेंडिग कमिटी द्वारा प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स फेरी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा साथ ही पहचान पत्र भी दिया जायेगा।
10. वेंडिग शुल्क सभी उन स्ट्रीट वेण्डर्स को देना होगा जिनको कि वैध फेरी प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि तक जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भुगतान शुल्क राशि जमा करने पर ही होगा।
11. असंतुष्ट स्ट्रीट वेण्डर्स को अधिकार है कि उनके मामले के निष्पादन के पहले स्थानीय प्राधिकार के समक्ष उनके मामले को रखा सुना जायेगा।

12. प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स को फेरी क्षेत्र एवं इसके आसपास की सफाई, जन स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं एवं सार्वजनिक सम्पति का ध्यान रखना होगा एवं समय–समय पर दिये जाने वाले सुख सुविधा का ध्यान रखना होगा।
13. फेरी प्रमाण पत्र जारी होने के बाद 30 दिन पूर्व सूचना दिये बगैर किसी भी वेण्डर्स को उनके स्थान से स्थानातंरण या हटाया नहीं जा सकता
14. स्थानीय प्राधिकार द्वारा किसी भी वेण्डर्स की सामानों की यदि जब्ती, जो कि उसी दिन खराब हो कसती है वैसे सामान को उसी दिन निर्मुक्त किया जायेगा।
15. स्ट्रीट वेण्डर्स के किसी प्रस्ताव या झगड़ा टाउन वेंडिग कमिटी सिविल जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक दण्डाधिकारी एवं दो अन्य न्याय संबंधी का कमिटी बनाया जा सकता है। परंतु कोई भी सरकारी सेवक या स्थानीय प्राधिकार के सदस्य को कमिटी का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।
16. प्रत्येक 5 वर्ष पर टाउन वेंडिग कमिटी के अनुशंसा पर स्थानीय प्राधिकार अनुसूची 1 के तहत वेण्डर्स के निहित अधिकार के योजना हेतु एक कमिटी बना सकती है।
17. प्रत्येक जोन या वार्ड में एक टाउन वेंडिग कमिटी होगा, प्रत्येक टाउन वेंडिग कमिटी नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगा।
18. टाउन वेंडिग कमिटी में स्वयं सेवी संगठनों एवं सामुदायिक आधारित संगठन से 10 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य नहीं होगे एवं 40 प्रतिशत सदस्य चुनाव के जरिए स्ट्रीट वेंण्डरों में से ही होंगे। जिनका चयन स्ट्रीट वेंण्डर खुद ही करेगे।
19. टाउन वेंडिग कमिटी में एक तिहाई सदस्य वेण्डर्स होगे जिनमें कि महिला वेण्डर्स, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एव निशक्त शाामिल है।
20. प्रत्येक टाउन वेंडिग कमिटी को स्ट्रीट वेण्डर्स का अधिकर पत्र का प्रकाशन एवं आंकड़े पर आधारित संख्या का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।
21. प्रत्येक स्ट्रीट वेण्डर्स जो फेरी क्षेत्र में कार्यरत है उन्हें फेरी प्रमाण पत्र के नियम एवं शर्तें को मानना होगा एवं प्रमाण पत्र पुलिस एवं अन्य प्राधिकार द्वारा प्रताड़ना से बचाव करेगा।
22. अगर कोई वेण्डर्स फेरी प्रमाण पत्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उन्हें 2000/रु. जुर्माना लगाया जाएगा।
23. विधयेक का प्रावधान आपको कोई भी मालिकाना अधिकार इत्यादि नहीं प्रदान करता है।
24. उपयुक्त सरकार शोध, प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन के जरिए स्ट्रीट वेण्डर्स को इस विधयेक के अंतर्गत अपेक्षित अधिकार के बारे में जानकारी देगा।
25. उपयुक्त सरकार 1 वर्ष के अंदर जब से यह विधेयक लागू होती है अधिसूचना जारी कर जारी करेगी जो आगे चलकर इसका उपयोग नियम के रुप में कर सकती है।

7. टाउन वेंडिंग समिति-

यह स्ट्रीट वेंडर नीति २००४ व स्ट्रीट वेंडर कानून २०१४ का केंद्रीय स्तंभ है, जिस पर शहर / नगर निकाय में स्ट्रीट वेंडरो के रोजगार को सुरक्षित, नियमित एवं नियंत्रित करने की जिम्मेवारी है | प्रत्येक नगर निगम , नगर परिषद्, नगर पंचायत में क्रमशः आयुक्त / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमे जिला प्रशाशन, पुलिस प्रशाशन, यातायात विभाग, स्थानीय बैंक, स्ट्रीट वेंडर संगठन, सिविल सर्जन, इत्यादि के प्रतिनिधि होंगे| यह अहम् है की टाउन वेंडिंग समिति के कुल सदस्य संख्या का ४०% स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधि होंगे |

स्ट्रीट वेंडर्स के आजीविका की रक्षा करने, उचित प्रतिबंध लगाने, यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की चिंताओं के समाधान के लिए यह समिति निर्णायक भूमिका हे होगी| बिहार सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार में पटना नगर निगम, राज्य के अन्य नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतो में टाउन वेंडिंग समिति के गठन के लिए एक आदेश जारी किये है, जिसकी प्रति निम्न है- (यह मूल प्रति से लिया गया है)

fcgkj ljdkj
uxj fodkl ,o vkokl foHkkx
अधिसूचना

संख्या – 1581 /न० वि० एवं आ० वि० पटना दिनांक–16/7/14

भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की शहरी फुटपाथ विक्रेताओं की राष्ट्रीय नीति, 2009 के आलोक में राज्य के सभी नगर निकायों में श्हारी फुटपाथ विक्रेता ( ) का गठन किया जाना है। उक्त समिति राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों के कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी।

इस संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में पत्रांक 4/वि०26/2011-1967 दिनांक –01.11.2013 के द्वारा समितियों का गठन किया गया है जो बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं व्यापार विनियमन) अधिनियम 2012 के अन्तर्गत था। भारत सरकार द्वारा The Street Vendors Act 2014 लागू कियागयाहै। अतः पूर्व की समितियों के स्थान पर The Street Vendors Act 2014 धारा–22(2) के अन्तर्गत पटना नगर निगम हेतु निम्न प्रकार से समितियों का गठन किया जाता है।

1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष	1
2	सिटी मैनेजर/राजस्व पदाधिकरी	सदस्य	4
3	सिविल सर्जन/मेडिकल ऑफिसर	सदस्य	1
4	जिला नियोजन पदाधिकारी/नगर निकाय अभियंता	सदस्य	1
5	पुलिस अधीक्षक **अथवा मनोनीत पदाधिकारी**	सदस्य	1
6	यातायात पुलिस अधीक्षक	सदस्य	1
7	टाग्रिणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य	1
8	चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि	सदस्य	1
9	राष्ट्रीय अनौपचारिक श्रमिक संघ (National union of informal workers- NUIW)	सदस्य	1
10	स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य	4
11	फुटपाथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि /शहरी फुटपाथ विक्रेता फडरेशन (Town Level Federation of Street Vendors) (इस श्रेणी में एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य है)	सदस्य	12
		कुल	28

नोट – क्र० स० 10 एवं 11 के सदस्यों का मनोनयन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

l[;k 1583 @uŒ foŒ ,o vkŒ foŒ iVuk fnukd&**16/7/14**

uxj fuxe % vkjk] cxlj;] Hkxyiqj] fcgkj'kjhQ] njHkxk] x;k] dfVgkj] eqxsj] equ¶Qjiqj] iwf.k;k

1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष	1
2	सिटी मैनेजर/राजस्व पदाधिकरी	सदस्य	1
3	सिविल सर्जन/मेडिकल ऑफिसर	सदस्य	1
4	जिला नियोजन पदाधिकारी/नगर निकाय अभियंता	सदस्य	1
5	पुलिस अधीक्षक **अथवा मनोनीत पदाधिकारी**	सदस्य	1
6	यातायात पुलिस अधीक्षक	सदस्य	1
7	चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि	सदस्य	1
8	राष्ट्रीय अनौपचारिक श्रमिक संघ (National union of informal workers- NUIW)	सदस्य	1
9	स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य	3
10	फुटपाथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि /शहरी फुटपाथ विक्रेता फडरेशन (Town Level Federation of Street Vendors) (इस श्रेणी में एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य है)	सदस्य	9
		कुल	20

नोट – क्र० स० 9 एवं 10 के सदस्यों का मनोनयन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

uxj ifj"kn ,o uxj ipk;r

संख्या 1582 /न० वि० एवं आ० वि० पटना दिनांक–16/7/14

1	कार्यपालक पदाधिकरी	अध्यक्ष	1
2	सिटी मैनेजर/राजस्व पदाधिकरी	सदस्य	1
3	सिविल सर्जन/मेडिकल ऑफिसर	सदस्य	1
4	जिला नियोजन पदाधिकारी/नगर निकाय अभियंता	सदस्य	1
5	पुलिस अधीक्षक **अथवा मनोनीत पदाधिकारी**	सदस्य	1
6	आग्रिणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य	1
7	चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधि	सदस्य	1
8	राष्ट्रीय अनौपचारिक श्रमिक संघ (National union of informal workers- NUIW)	सदस्य	1
9	स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य	2
10	फुटपाथ विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि /शहरी फुटपाथ विक्रेता फडरेशन (Town Level Federation of Street Vendors) (इस श्रेणी में एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य है)	सदस्य	8
		कुल	18

नोट – क्र० स० 9 एवं 10 के सदस्यों का मनोनयन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ज्ञापंकः– /न० वि० एवं आ० वि० पटना दिनांक–

प्रतिलिपि वित्त विभाग ई–गजट कोषांग बिहार पटना को सी० डी० के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि वे कृपाया मुद्रिमत गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(जय सिंह)
स्रकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापंकः– 1581/1583/1582 /न० वि० एवं आ० वि० पटना दिनांक– 16/7/14

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, पटना मगध, भागलपुर, तिरहुत, सारण, मुगेंर, कोशी, दरभंगा,पूणियाँ प्रमंडल/सबंधित /सभी जिला पदाधिकारियों / अध्यक्ष एवं समिति के सभी सदस्यों की सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेशित।

(जय सिंह)
स्रकार के संयुक्त सचिव

8. फेडरेशन क्या है ?

फेडरेशन एक ऐसा निकाय है जो प्राथमिक संगठनों का समूह है जो संगठनों के सदस्य तथा उनके आश्रितों के महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाता है। फेडरेशन में शामिल हर सदस्य को इसकी गतिविधियों के संचालन पर एक अधिकार होता है।

9. मार्किट कमिटी क्या है ?

किसी नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी बाज़ार / फूटपाथ क्षेत्र / फेरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर आपस में मिलकर एक कमिटी (औसत १०० वेंडर) का गठन करेंगे यह समिति मार्किट कमिटी कहलाएगी| उक्त मार्किट कमिटी अपने लिए एक कार्यकारणी समिति का गठन करेंगे जो ११ सदस्यों की होगी| इस समिति में १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष , १ सचिव , १ उप सचिव एवं १ कोषाध्यक्ष सहित ६ कार्यकारणी सदस्य होंगे | जिसमे महिला सदस्यों की उपस्त्थी भी आवश्यक है | यह समिति मार्किट में अपने सदस्यों के साथ एक मासिक बैठक करेगी |

10. शहर स्तारिये फेडरेशन क्या है ?

शहर स्तारिये फेडरेशन, मार्किट कमिटी के सदस्यों के प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह है जो शहर स्तर पर स्ट्रीट वेंडरो के नियमन एवं उनके मुद्दों के लिए कार्यरत है| प्रत्येक मार्किट कमिटी के सदस्य अपने दो प्रतिनिधि का चुनाव कर शहर स्तारिये फेडरेशन के लिए नामित करता है | ये सदस्य आपस में मिल कर शहर स्तारिये फेडरेशन के कार्यकारणी समिति का गठन करते है |

11. राज्य स्तारिये फेडरेशन

शहर स्तारिये फेडरेशन का एक व्यापक व विस्तृत संरचना जो राज्य स्तर पर कार्यरत होगी, राज्य स्तारिये फेडरेशन कहलाएगी | सभी नगर निकयो या शहरों के स्तर पर गठित शहर स्तारिये फेडरेशन के सदस्यों को मिला कर राज्य स्तारिये फेडरेशन का गठन होगा , जिसका की पंजीकरण आवश्यक रूप से होगा| यह एक महासंघ के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे के लिए शीर्ष निकाय का काम करने तथा राज्य स्तर पर उन्हें सहायता व तथा प्रोत्साहन देगा|

महासंघ की संरचना

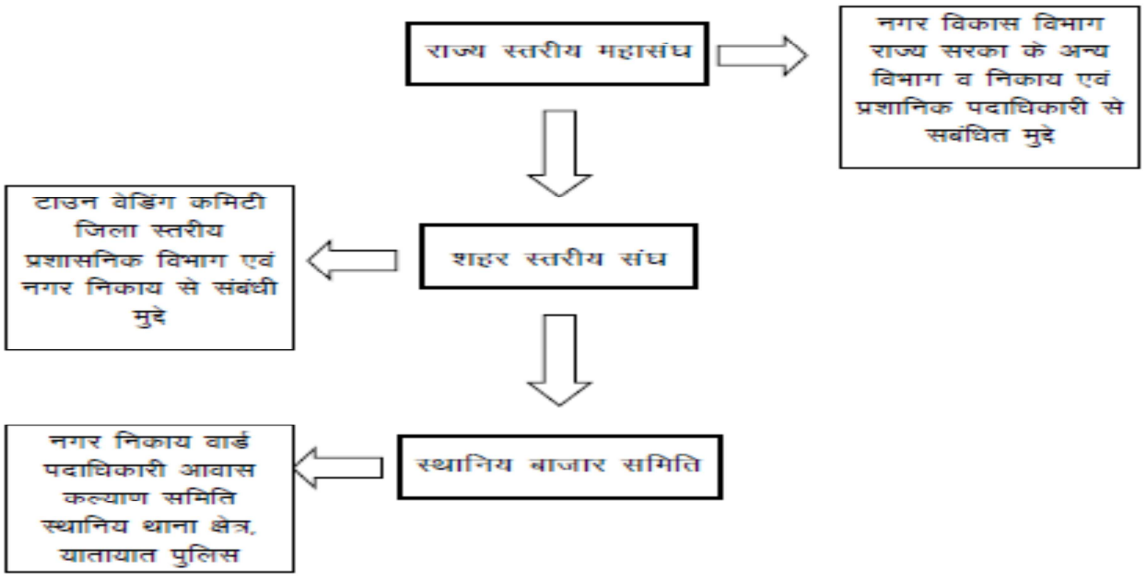

12. वेंडिंग जोन - नो वेंडिंग से तात्पर्य

जिला प्रशासन, नगर निकाय, टाउन वेंडिंग कमिटी या किसी प्रशासनिक विभाग द्वारा की खास क्षेत्र को फेरी / वेंडिंग के लिए अधिकृत किया गया हो, उसे वेंडिंग जोन कहा जायेगा, यह विशेष दिवस आधारित या समय आधारित भी हो सकता है, इसके विपरीत जिन जगहों पर स्ट्रीट वेंडिंग/ फेरी के लिए मनाही हो वह क्षेत्र नो वेंडिंग जोन कहलायेगा |

13. नेचुरल मार्किट क्या है-

फुटपाथ दुकानदार ऐसे स्थानों पर व्यवसाय करते हैं, जहां लोगों का जमावड़ा होता है। इन स्थानों के स्वाभाविक बाजार में तब्दील होने की संभावना होती है, क्योंकि ये ग्राहकों के लिए सबसे सुविधाजनक स्थान है। **ये नेचुरल मार्किट कहलाते है|** बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के पास इस कारण फुटपाथ दुकानदारों की संख्या काफी रहती है, काम से घर लौटने के क्रम में लोगों को इन स्थानों पर फुटपाथ दुकानदारों से सामान खरीदना सुविधाजनक लगता है। इसी तरह, अस्पताल के आसपास फल और हरे नारियल बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे और पूजा वाले जगहों, खासकर मंदिरों के पास फल और फूल बेचने वाले तथा नगर निगम के बाजारों में बड़ी संख्या में सब्जी, फल और मसाले आदि बेचने वाले फुटपाथ दुकानदार पाये जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों और दूसरे अधिकारी इन्हें अतिक्रमणकर्ता के रुप में देखते हैं और इनकी मंशा फुटपाथ दुकानदारों को इन जगहों से हटाने की होती है। इस बात को मान्यता मिलनी चाहिए कि ऐसे बाजारों का अस्तित्व मुख्यतः इसलिए है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों, खासकर गरीब तबकों को मूल्यवान सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए प्रमुख शहरी जनसंख्या को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने वाले इन बाजारों के अस्तित्व की पहचान की जरुरत है। स्वाभाविक बाजारों को हटाए जाने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने की जरुरत है।

14. वित्तीय सेवा

स्ट्रीट वेंडरो को उनके व्यवसाय, आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति एवं सुरक्षा के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों , एवं अन्य संस्थानों से मिलने वाले सहयोग, ऋण, इत्यादि वित्तीय सेवा है | फुटपाथ दुकानदारी जो कि असंगठित क्षेत्र का एक भाग है कि औपचारिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों से विशेषतः उनके आर्थिक क्रियाकलापों के लिए न के बराबर ऋृण प्राप्त होता है जिनके अभाव में उन्हें महाजन से बहुत ऊँचे दर पर ऋृण लेना पड़ता है।

15. **सामाजिक सुरक्षा क्या है ?**

सामाजिक सुरक्षा साधारणतयाः डाक्टर देखभाल, बीमारी, मातृत्व लाभए रोजगार में दुर्घटना एवं वृद्धा पेंशन इत्यादि का सम्माहित करता है । हमारे देश मे सामाजिक सरुक्षा कार्यक्रम मुख्यतः दो भागों में बंटा है यथा भागीदारी गैर भागीदारी। भागीदारी कानून वे है हैं जिनमें कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रमिक से एवं नियेक्ता दोनों से योगदान राशि ली जाती है और कुछ मामले में सरकार द्वारा अनुदान/योगदान द्वारा पूरा किया जाता है।

महत्वपूर्ण योगदान योजनाएं है– .....भविष्य निधि (**PF**) पेंशन के लिए योजना इत्यादि ।

फुटपाथ दुकानदार न सिर्फ असंगठित क्षेत्र के भाग है बल्कि स्व–रोजगारी होने के कारण भागीदारी भी कर सकता है। सरकार इसमें अपनी तरफ से उनके बराबर सहयोग राशि दे सकती है। यद्यपि बीमा योजनाएं असंगठित क्षेत्र को प्राप्त है जिनके की फुटपाथ दुकानदार एक भाग है, लेकिन उनके बिखरे होने के कारण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रवर्तक को उनके लाभ पहुँचाने में परेशानी होती है।

22. **संबर्धन कार्यक्रम क्या है**

'संवर्धन' बिहार सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के अंतर्राशट्रीय विकास विभाग का छः वर्शीय (वर्श 2010 से 2016 तक) साझा कार्यक्रम है। कार्यक्रम की परिकल्पना है कि राज्य के प्रभावशाली शहरी केन्द्र यहाँ के आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों तथा सेवाओं के केन्द्र के रूप में गरीबों के विकास में योगदान देगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास की वृद्धि करना तथा गरीबी कम करने के कार्यों की गति को वर्श 2016 तक महत्वपूर्ण बढ़ावा देना है।

योजना का लक्ष्य चिह्नित स्थानीय नगरीय निकायों की क्षमताओं को बढ़ाकर शहरी सुविधाएँ प्रदान करना तथा निजी निवेश को आकृश्ट करना है ताकि ''घटते शहरी राजस्व, कमजोर क्षमताएँ'' तथा अपर्याप्त सेवाओं के चक्र को तोड़ा जा सके। 'संवर्धन' स्थानीय नगरीय निकायों और राज्य एवं ज़िला स्तर पर सम्बंधित विभागों की प्रभावकारिता में वृद्धि हेतु आर्थिक, तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करेगा।

'संवर्धन' का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निजी निवेश में वृद्धि, सभी नागरिकों को बेहतर तथा स्थायी सेवाएं प्रदान कराना तथा गरीबों पर सकारात्मक प्रभाव डालना है।

mijkDr y{; dh ikfIr gr| dk;Øe d| e|[; ifj.kke fcUn| g%

- नगर विकास के प्रबंधन एवं उत्कर्श हेतु प्रभावशाली नीतियों एवं संस्थानों का विकास करना।
- राज्य एवं स्थानीय नगरीय निकायों के द्वारा प्रचुर रूप से उपलब्ध संसाधनों का शहरी विकास के लिए बेहतर उपयोग एवं प्रबंधन करना।

- चिह्नित स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा नगरीय अधोसंरचना एवं सुविधाओं का प्रभावपूर्वक नियोजन, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन करना।
- समावेशी विकास हेतु शहरी क्षेत्रों में निजी निवे ा को आकृश्ट करने के लिए स्थानीय नगरीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना।
- नगरीय संसाधनों एवं जीविकोपार्जन के अवसरों को सशक्त गरीब समुदायों एवं सामाजिक रूप से वंचित समूहों तक पहुँचाना।